

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./ 188 /2024 दिनांक 20.08.2024

श्रीमती कीर्ति सिंहमार (RJ00724), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फागी (जयपुर जिला) को दिनांक 27.08.2024 से 11.09.2024 तक 16 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 24.08.2024 से 26.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंहमार की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दूदू (जयपुर जिला)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी (जयपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फागी (जयपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/07/2013/6579

दिनांक 20.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 5018 दिनांक 02.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कीर्ति सिंहमार (RJ00724), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फागी (जयपुर जिला)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फागी (जयपुर जिला)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दूदू (जयपुर जिला)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी (जयपुर जिला)।


सहायक रजिस्ट्रार